1/नि०वि०स्था०–56/2021......1451 05/04/2022

बिहार सरकार
निगरानी विभाग
सूचना भवना, पटना।

–:: विज्ञापन ::–

बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग से सेवानिवृत्त सहायक को संविदा के आधार पर नियोजनः–

निगरानी विभाग, बिहार, पटना एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सहायक के रिक्त 20 (बीस) पदों के लिए संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त सहायक से आवेदन निम्न शर्त्तों के अन्तर्गत नियोजन हेतु आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रथमतः 2 (दो) वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक (जो पहले हो) के लिए होगी। संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक के लिए एक–एक वर्ष का सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है।
2. सेवानिवृत्त सहायक का दिनांक 01.04.2022 को अधिकतम उम्र 63 वर्ष होना चाहिए।
3. आवेदकों को शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए।
4. अनुबंध के आधार पर निगरानी विभाग में नियोजन हेतु **सहायक के उक्त 20 (बीस) पदों में 04 (चार) पद अनारक्षित, 03 (तीन) पद अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, 03 (तीन) पद अनारक्षित (महिला), 02 (दो) पद अनुसूचित जाति, 01 (एक) पद पिछड़ा वर्ग, 02 (दो) पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 01 (एक) पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला), 01 (एक) पद अनुसूचित जाति (महिला), 01 (एक) पद पिछड़ा वर्ग (महिला), 01 (एक) पद पिछड़े वर्गों की महिला एवं 01 (एक) पद अनुसूचित जनजाति** के लिए चिन्हित है।
5. **उक्त पदों में से 01 (एक) पद अंध एवं निम्न दृष्टि दिव्यांगता उम्मीदवार के लिए (उपलब्धता की स्थिति में) सुरक्षित होगा।**
6. नियोक्ता एवं संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने वाले चयनित व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा।
7. नियोजित होने वाले व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे तथा सरकारी सेवकों की मिलने वाली सुविधा के हकदार नहीं होंगे।
8. संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह के पूर्व सूचना देकर कभी भी नियोजन समाप्त किया जा सकता है।
9. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित निदेश के आलोक में नियोजित सहायक का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि शेष होगी वही भुगतेय होगी।
10. इच्छुक सेवा निवृत्त सहायक पूर्ण विवरणी के साथ विहित प्रपत्र में **उप सचिव, निगरानी विभाग, चतुर्थ तल, सूचना भवन, पटना–800015** को निबंधित डाक द्वारा **दिनांक 30.04.2022 के अपराह्न 6.00 बजे** तक आवेदन दे सकते हैं।
11. निगरानी विभाग के वेबसाईट State.bihar.gov.in/vigilance/CitizenHome.html पर विहित प्रपत्र देखा जा सकता है।

5/4

(मो० जहाँगीर आलम)
सरकार के उप सचिव।

D:\AMARJEET\2022\March

निगरानी विभाग, बिहार, पटना एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए सेवा निवृत्त सहायक को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र

राजपत्रित पदा0 द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

1.	आवेदित पद का नाम	:–	....
2.	आवेदक का नाम	:–	....
3.	पिता/पति का नाम	:–	....
4.	आवेदक का जन्म तिथि	:–	....
5	सेवा निवृत्ति की तिथि	:–	....
6.	सरकारी सेवा/बिहार सचिवालय सेवा में प्रवेश की तिथि	:–	....
7.	विभाग का नाम (जहाँ से सेवा निवृत्त हुए हों)	:–	....
8	पदनाम (जिस पद से सेवा निवृत्त हुए हों)	:–	....
9.	शैक्षणिक योग्यता	:–	....
10.	जाति का नाम/आरक्षण कोटि (आरक्षण–कोटि के लिए जाति प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)	:–	....
11.	वर्त्तमान पता	:–	....
12.	स्थायी पता	:–	....
13.	महालेखाकार द्वारा निर्गत पी0पी0ओ0 सं0 (छाया प्रति के साथ)	:–	....
14.	सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव	:–	....

तिथि ....

आवेदक का हस्ताक्षर

D:\AMARJEET\2022\March

संविदा के आधार पर सहायक के नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा .... विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं चयनित/नियोजित होने वाले श्री .... के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही है :–

1. यह नियोजन केवल .... (पद का नाम) के लिए किया जायेगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल 2 वर्ष के लिए किया जायेगा लेकिन विशेष परिस्थिति में इसकी अवधि अगले 65 वर्ष की उम्र तक बढ़ायी जा सकेगी।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री .... को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक 10.07.2015 के आलोक में मानदेय राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगा।
5. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. संविदा पर नियोजित सहायक की सेवा निगरानी विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए होगी।
7. संविदा पर नियोजन के उपरान्त नियोजित का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
8. नियोजन के पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (मूल में) समर्पित करना अनिवार्य होगा।
9. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कंटेक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
10. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्त मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेगा/करेगी तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

उप सचिव, विभाग, बिहार, पटना | **नियोजित सहायक**

D:\AMARJEET\2022\March